


न्यायालय- श्रीमान राजस्व मंडल मध्य-प्रदेश, भोपाल म०प्र०

152



PBR/मिगरानी/बैतूल/पंअधि/2017/332

करनसिंह धुर्वे आ. दलीपसिंह धुर्वे  
पंचायत समन्वय अधिकारी, ग्राम  
पंचायत कुंडी, तह. शाहपुर जिला बैतूल म०प्र०

याचिकाकर्ता.

श्री कामता जयशंकर

बनाम

मादव द्वारा 30-8-17

श्री जयशंकर मिश्रा

01- मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जनपद पंचायत शाहपुर जिला बैतूल,  
04- दयाराम मर्सकोले, तत्कालीन  
सचिव, ग्राम पंचायत कुंडी तहसील शाहपुर  
जिला बैतूल म०प्र०

उत्तरवादीगण.

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 91. मध्य-प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993  
याचिकाकर्ता निम्नानुसार प्रार्थना करता है:-

01- यह कि याचिकाकर्ता यह याचिका न्यायालय आयुक्त महोदय, नर्मदापुरम संभाग होशंगा  
बाद द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 131 वर्ष 2016-2017 में पारित आदेश/ निर्णय दिनांक  
29/06/2017 से क्षुब्ध एवं दुःखी होकर निम्न-लिखित आधारों पर विधि अनुसार समया-  
वधि में प्रस्तुत करता है -

*(Handwritten signature)*

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/बैतूल/पं.अधि./17/ 3321

जिला बैतूल

दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27/9/12	<p>आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह निगरानी मध्यप्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज्य अधिनियम, 1993 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है । उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है । अतः इस प्रकरण के सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से अग्राह्य किया जाता है।</p>	<p>(मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>